फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

शंकरलाल बनाम तहसीलदार माण्डल

केस मुकदमा .... वाद .... नं0 ..... 31 ..... सन् 2018 ....

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
4-18	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 26-4-18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	TDK 6/6/18
26-4-18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित, पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार जवाब आपत्ति पेश करना चाहते है। वास्ते जवाबदावा हेतु पत्रावली दिनांक 27-4-18 को पेश हो।	
27-4-18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित, पैरोकार सरकार उपस्थित, विपक्षी जवाबदावा आपत्ति पेश करना चाहते है जवाबदावा हेतु अवसर दिया जाता है। वास्ते पैरोकार सरकार के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 18-5-18 को पेश हो।	
6-6-18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प संतोकपुरा मे पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने जवाब पेश नही किया। जवाब बंद किया जाता है। वकील वादी ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वाद पत्र मे अंकित तथ्यो व दस्तावेजो के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। जब कि पैरोकार सरकार ने वाद पत्र को खारिज किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया। विवादित आराजियात ग्राम कीरखेड़ा पटवार हल्का संतोकपुरा तहसील मांडल मे स्थित होकर बिलानाम गैर काबिल काश्त है। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	की नकल सम्वत 2072 से 2075 से होती है। विवादित आराजी नं० 9160 रकबा 03बीघा 09बिस्वा मे से रकबा 02बीघा 15 बिस्वा भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है। जिसकी ताईद प्रस्तुत खसरा परिवर्तित नकल सम्वत 2058, 2062से 2069, 2070, 2072 से होती है जिसमे वादी का विवादित आराजियात पर करीब 23 वर्षो से कब्जा है। विवादित आराजियात पर प्रार्थी का अतिक्रमण की हैसियत से कब्जा है। इस बाबत नियमन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी का विवादित आराजियात पर नाजायज कब्जा है जिसकी ताईद प्रस्तुत खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्वत 2053, 2056, 2057, 2060 2063, 2065, 2066, 2067 से होती है। वर्तमान मे बिलानाम काबिल काश्त है। इस प्रकार विवादित आराजियात बिलानाम है जिस पर प्रार्थी काश्त कर रहा है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजो, वाद पत्र मे अंकित तथ्यो के अनुसार विवादित आराजियात बिलानाम काबिल काश्त है। तथा बिलानाम काबिल काश्त होने से प्रार्थी का विगत सम्वत 2052 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। कब्जा होने से प्रार्थी विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित होना चाहता है ताकि तहसीलदार द्वारा बार-बार धारा 91 L.R Act की कार्यवाही नही कर सके। प्रस्तुत दस्तावेजो व वाद पत्र मे अंकित तथ्यो से स्पष्ट है कि वादी का विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त चल रहा है। उसी अनुसार विवादित आराजियात का वादी खातेदार काश्तकार घोषित होकर राजस्व रेकार्ड मे भूमि दर्ज कराने का अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अत: :: आदेश :: वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कीर खेड़ा पटवार हलका संतोकपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा मे स्थित हाल आराजी नं. 9160 रकबा 03बीघा 09 बिस्वा मे से रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उसी अनुसार भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफतर दाखिल हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मांडल ज़िला भीलवाड़ा	